न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:—62/2023

जी.सी.एम.एस नं.—2023/145

सोमा देवी पत्नी जगतू पुत्र रिडकू जाति चौधरी निवासी जम्बल तहसील डाडासिबा जिला कांगडा (हि.प्र.)

———वादीया

बनाम्

1. शेरसिंह पुत्र जगतू पुत्र रिडकू जाति चौधरी निवासी जम्बल तहसील डाडासिबा जिला कांगड़ा हि.प्र.)
2. कृष्णा देवी पत्नी राजकुमार पुत्री जगतूं पुत्र रिडकू जाति चौधरी निवासी बरवाडा तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
3. सीता देवी पुत्री जगतू पुत्र रिडकू जाति चौधरी निवासी बाडी तहसील देहरा जिला कागड़ा (हि.प्र)
4. मिन कुमार पुत्र शेरसिंह
5. तनु कुमार पुत्र शेरसिंह

   अकवाम चौधरी निवासीगण जम्बल तहसील डाडासिबा जिला कांगडा (हि.प्र)
6. उप पंजीयक अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—————प्रतिवादीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित—

1. श्री अनिल कुमार गक्खड़ एडवोकेट वादी की ओर से
2. श्री बलदेव सिंह भगू एडवोकेट प्रतिवादी सं.—3 की ओर से
3. श्री राकेश कुमार गोदारा एडवोकेट प्रतिवादी सं.—1, 4, 5 की ओर से

—:: निर्णय ::— दिनांक:—24/12/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 ए [illegible] तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—20 पत्थर नं.—201/63 का किला नं.—[illegible] कमाण्ड मय खाला खातेदारी की मूल खातेदार जगतू पुत्र रिडकू [illegible] वसीयत दि[illegible] 09.12.2015 के आधार पर वादीया एवं प्रतिवादी सं.—4 व 5 प्रत्ये[illegible] को 1/3 हिस्सा का खा[illegible] कृषक घोषित किया जावे और तदनुसार विवादित कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किए जाने का आदेश प्रतिवादी सं.—7 को दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:45:02 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 की तरफ से श्री राकेश कुमार गोदारा एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 ने **प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी** पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि चक 3 ए एम–बी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं.–201/63 मुरबा नं.–20 का किला नं.–1 ता 25 में कुल 6.325 हैक्टेयर कमांड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में मूल खातेदार जगतु पुत्र रिडकु द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 09.12.2015 के आधार पर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रत्येक को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का अनुतोष चाहा है। मूल खातेदार जगतु पुत्र रिडकु द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 09.12.2015 को पढ़ने मात्र से वसीयत की प्रकृति समझ में आती है कि मूल खातेदार जगतु ने वसीयत दिनांक 09.12.2015 प्रतिवादी सं.–4 व 5 के पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाई थी जिसमें वादीया को कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त वसीयत दिनांक 09.12.2015 के लेखक दीपक शर्मा एडवोकेट ने भी अपना शपथ पत्र वसीयत प्रकरण में तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़ में दिया है कि वसीयत दिनांक 09.12. 2015 मैंने जगतू राम के कहे अनुसार लिखी थी तथा उन्होनें जो जायदाद राजस्थान में वाकया है उसे मिथुन कुमार, तनु कुमार के नाम पर बहिस्सा बराबर कर दी थी। वादीया ने तहसीलदार भू अभिलेख अनूपगढ़ में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा वसीयत दिनांक 09.12.2015 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो वसीयत प्रकरण संख्या 33/2023 पर दर्ज है, जिसमें वादीया ने भी दिनांक 04.04.2023 को स्वयं तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में वसीयत दिनांक 09.12.2015 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ को दिया है परन्तु वादीया के पक्ष में वसीयत दिनांक 09.12.2015 निष्पादित नहीं होने के कारण वादीया ने उक्त वसीयत प्रकरण के जैरकार रहने के तथ्य को छिपाकर उक्त शीर्षक का वाद पत्र गलत तथ्य बताकर प्रस्तुत किया है कि वसीयत दिनांक 09.12.2015 प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के साथ वादीया के पक्ष में भी निष्पादित है तथा इस प्रकार वादीया गलत तथ्य बताकर माननीय न्यायालय को गुमराह कर रही है। वसीयत दिनांक 09.12.2015 वादीया के पक्ष में निष्पादित नहीं है जिससे वादीया को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जिसके आधार पर वादीया ने वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित होने का दावा प्रस्तुत किया है। वादीया के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। जिससे वादीया को क्षति पहुंचती हो। इसलिए वादीया को वाद प्रस्तुत करने व उसे सुने जाने का कानूनी अधिकार (Locus Standi) नहीं है। इसलिए वाद पत्र वादीया द्वारा प्रस्तुत करने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीया को वाद प्रस्तुत करने व सुने जाने का कोई कानूनी अधिकार (Locus Standi) नहीं होने के कारण वाद पत्र वादीया इसी स्टेज पर अस्वीकार फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:45:02 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीया/वादीया ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वसीयत दिनांक 09.12.2015 में वादीया को इस विवादित कृषि भूमि से कोई हिस्सा नही दिया गया पूर्णतया गलत है दस्तावेज लेखक दीपक शर्मा के शपथ पत्र से वसीयत दिनांक 09.12.2015 तब्दील नहीं हो सकती। वसीयत दिनांक 09.12.2015 में मृतक द्वारा वादीया को बहिस्सा बराबर राजस्थान की भूमि दी है वैसे भी विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नामान्तरण की प्रक्रिया एक फिसिकल (fisical Entry) प्रक्रियां है जिससे कोई अधिकार प्राप्त नही होते पक्षकारो के अधिकारों का निस्तारण नियमित वाद से ही संभव है। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से उठाये गये बिन्दू विधि एवं तथ्यो का मिश्रित प्रश्न है जिस सम्बधं में नियमित वाद में अभी जबाब दावा आना शेष है तथा जबाब दावा आने के उपरांत विवाद्यको की संरचना होने के उपरांत उभय पक्षो की साक्ष्य लेखबद्ध होने के उपरांत ही इस प्रकरण का विधिवत निस्तारण होना संभव है चूंकि वादीया के पति के नाम से विवादित कृषि भूमि थी जिसकी वादीया प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस है इसलिए प्रतिवादीगण को यह कहने का कतई अधिकार नहीं है कि वादीया को वाद पत्र प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डई नहीं है तथा वाद वादीया किस प्रकार से विधि द्वारा वर्जित हो ऐसा प्रतिवादीगण ने इस प्रार्थना पत्र में कोई आधार अंकित नही किया गया है। यह कि वादीया द्वारा इस वाद पत्र में दस्तावेज वसीयत दिनांक 09.12.2015 के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा है। इसके साथ साथ अनुतोष की उप मद (ड) का अवलोकन किया जावे तो वादीया द्वारा अनुतोष की उप मद (ड) में यह भी अंकित किया है कि यदि माननीय न्यायालय अनुतोष की उप मद (क) में वांछित अनुतोष प्रदत करने में कोई विधिक अडचन समझे तो वादीया एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 को विरास्तन अधिकार व बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किया जावे। उक्त अनुतोष को देखने के उपरांत इस वाद पत्र का निस्तारण दोनो पक्षो की साक्ष्य लेखबद्ध होने के उपरांत ही संभव है आज प्रथम दृष्टया मूल आवंटी की प्रथम श्रेणी की वारिस उसकी पत्नी के जीवित होने की स्थिति में उसकी सम्पति को किसी अन्य को देना न्यायसंगत नंही है जबकि मूल आवंटिती द्वारा अपने द्वारा निष्पादित वसीयत में वादीया को हिस्सा दिया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अकित किए गए आधारो में ऐसा कोई भी ठोस आधार नहीं है जो आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की परिधि में आते हो। प्रतिवादीगण द्वारा महज प्रकरण को देरिना करने के उदेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है वादीया का वाद पत्र किसी भी दृष्टि कोण से विधि द्वारा बाधित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं.–1, 4, 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के साथ निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:45:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। वादीया/प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। वादीया/प्रार्थीया के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीया/प्रतिवादीगण सं.–1, 4, 5 ने अपनी

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि वादीया द्वारा उपरोक्त वाद में चक 3 ए एम–बी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं.–201/63 मुरब्बा नं.–20 का किला नं.–1 ता 25 में कुल 6.325 हैक्टेयर मूल खातेदार जगतु पुत्र रिडकु द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 09.12.2015 को पढ़ने मात्र से वसीयत की प्रकृति समझ में आती है कि मूल खातेदार जगतु ने वसीयत दिनांक 09.12.2015 प्रतिवादी सं.–4 व 5 के पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाई दी थी जिसमें वादीया को कोई हिस्सा नहीं दिया गया। मिथुन कुमार, तनु कुमार के नाम पर बहिस्सा बराबर कर दी थी। वादीया को वाद प्रस्तुत करने व उसे सुने जाने का कोई कानूनी अधिकार (Locus Standi) नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली में वादी को वसीयत के आधार पर सिविल न्यायालय में अभिगम करना चाहिए, प्रतिवादी सं.–1,4,5 विवादित कृषि भूमि मूल खातेदार जगतु पुत्र रिडकु द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 09.12.2015 को पढ़ने मात्र से वसीयत की प्रकृति समझ में आती है मूल खातेदार जगतु ने वसीयत दिनांक 09.12.2015 प्रतिवादी सं.–4 व 5 के पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाई दी थी जिसमें वादीया को कोई हिस्सा नहीं दिया गया। वादीया को वाद प्रस्तुत करने व उसे सुने जाने का कोई कानूनी अधिकार (Locus Standi) नहीं है तथा वादी का वाद FRIVOLOUS AND VEXATIOUS हे प्रार्थीया/प्रतिवादीगण सं.–1, 4, 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादीगण सं.–1, 4, 5) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार जाकर वादी का वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 24/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:45:02 IST
Reason: SelfAttested